संख्या–वे0आ0–2-1244 / दस–2009–44(एम) / 2001टी0सी0

प्रेषक,

श्री मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सचिव / प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2009

विषय :– प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढांचे के पुर्नगठन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के परिप्रेक्ष्य में एवं वेतनमानों की विसंगतियों जैसे प्रकरणों पर विचारार्थ गठित मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर प्रदेश के राजकीय विभागों के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढाँचे का पुनर्गठन शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–433 / दस–2005–44 / 2001 टी0सी0 दिनांक 11 मई, 2006 एवं वर्तमान पदधारकों के पुनर्गठित ढाँचे में समायोजन की व्यवस्था का निर्णय शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–624 / दस–2007–44 / 2001 टी0सी0 दिनांक 21 जून, 2007 (प्रतियां सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न) द्वारा लिया गया है।

2–वाहन चालक संवर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि अधिकांश [illegible] गों में उक्त निर्णयों का कार्यान्वयन अब तक नहीं हो पाया है जिससे आच्छादित वाहन चालकों संवर्गीय ढाँचे के पुनर्गठन के उक्त निर्णयों का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

3–उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझसे आपसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है यदि आपके अधीनस्थ विभागों में संलग्न शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–433 / दस–2005–44 / 2001 टी0सी0 दिनांक 11 मई, 2006 एवं शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–624 / दस–2007–44 / 2001 टी0सी0 दिनांक 21 जून, 2007 द्वारा लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन अब तक नहीं हो पाया है तो उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2-1244(1) / दस–2009–44(एम) / 2001 टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्ष एव प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0 प्र0 को संलग्नकों की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निर्णयों का कार्यान्वयन यदि अब तक न हुआ हो तो उनके कार्यान्वयन कराने हेतु यथावश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 59 सा० वित्त–24-9-2009–(1240)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / आफसेट)।